

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना		ix
कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय I: परिचय		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.3	4
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	5
प्रतिवेदन की संरचना	1.5	6
अध्याय II: आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली		
परिचय	2.1	9
ईएससीआईएमएस का शराब की एंड-टू-एंड ट्रेकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ	2.2	12
बारकोड की स्कैनिंग को लागू करने के कमजोर प्रयासों के साथ 'स्टॉक-टेक-सोल्ड' अभ्यास ने ईएससीआईएमएस के उद्देश्य को विफल कर दिया	2.2.1	12
ईएससीआईएमएस डेटा के माध्यम से पूनरावृत्त चूककर्ता की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना	2.2.2	14
अप्रयुक्त बारकोड्स के दुरुपयोग की संभावना	2.2.3	16
बारकोड्स को स्कैन किए बिना बिक्री प्रमाणित करने से जुड़े जोखिम	2.2.4	18
दुकान बिक्री डेटा विश्लेषण	2.2.5	18
कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 24.23 करोड़ का अनुचित लाभ	2.3	22
ईएससीआईएमएस के ईआईबी मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जाना	2.4	23
सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया	2.5	24
निकास प्रबंधन योजना का अभाव	2.6	25

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
विभाग द्वारा पीएमयू की भूमिका संभालने के बाद निगरानी का अभाव	2.7	26
एक्साइज ऐडहेसिव लेबल लागू करने में विफलता	2.8	27
निष्कर्ष	2.9	29
अध्याय III: लाइसेंस जारी करना		
परिचय	3.1	31
संबंधित पक्षों को लाइसेंस अनियमित रूप से जारी करना	3.2	32
आपराधिक पृष्ठभूमि के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.3	35
जारी किए गए लाइसेंस के अनुवीक्षण के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की गैर-अनुपालना	3.4	36
लाइसेंसधारियों की शोधनक्षमता सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.5	37
यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना कि लाइसेंसधारी पर कोई सरकारी बकाया नहीं है	3.6	39
लाइसेंसधारियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.7	41
एल1 लाइसेंसधारियों से जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्राप्त किए बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.8	42
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए बिना एल1एफ लाइसेंस जारी करना	3.9	43
बिक्री डेटा और थोक बिक्री मूल्य (डब्ल्यूएसपी) प्रस्तुत किए बिना एल1 और एल1एफ लाइसेंस जारी करना	3.10	43
“बाल्टिक 9” बियर की आपूर्ति के लिए एल1एफ लाइसेंस देने में अनियमितता	3.11	45
परिसर/विक्रेता का कानूनी कब्ज़ा सुनिश्चित किए बिना अनियमित रूप से लाइसेंस	3.12	46
आग और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ बीमा सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना	3.13	48

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
सीसीटीवी सिस्टम सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना	3.14	50
लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में घोषणा के बिना लाइसेंस जारी करना	3.15	51
पर्यटन विभाग से अपेक्षित अनुमोदन के बिना लाइसेंस जारी करना	3.16	52
निष्कर्ष	3.17	52
अध्याय IV: भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा विदेशी शराब (एफएल) का मूल्य निर्धारण		
परिचय	4.1	55
आबकारी विभाग द्वारा आईएमएफएल की ईडीपी/ईबीपी को विनियमित नहीं किया गया	4.2	56
ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित नहीं की गयी	4.2.1	57
दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च ईडीपी/ईबीपी का निर्धारण	4.2.2	58
विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों को विवेकाधीन लाभ मार्जिन	4.3	59
निष्कर्ष	4.4	60
अध्याय V: गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन		
परिचय	5.1	61
एफएसएसएआई अधिनियम/बीआईएस मानदंडों में लाइसेंस की शर्तों में अस्पष्टता/गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन न होना	5.2	62
आबकारी विभाग द्वारा अमान्य गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों की स्वीकृति	5.3	64
अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद लाइसेंस जारी करना	5.4	66
बीआईएस मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद एल1 लाइसेंस (आईएमएफएल) जारी करना	5.4.1	66
गुणवत्ता आश्वासन के बिना एल1एफ लाइसेंस प्रदान करना तथा विदेशी शराब की आपूर्ति करना	5.4.2	68

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत संदिग्धता परीक्षण प्रमाणपत्र आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किए गए	5.5	71
गलत श्रेणी में ब्रांड का अनियमित पंजीकरण	5.6	73
पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर लाइसेंस का अनियमित निर्गमन	5.7	74
निष्कर्ष	5.8	74
अध्याय VI: आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती		
परिचय	6.1	75
ईआईबी डेटा का विश्लेषण	6.2	76
देशी शराब खरीद में ढांचागत कमजोरियां जो इसकी तस्करी को बढ़ावा दे रही हैं	6.3	77
जब्ती शाखा की भूमिका और ईआईबी के साथ समन्वय का अभाव	6.4	79
अन्य कमियां और समन्वय का अभाव	6.5	82
निष्कर्ष	6.6	84
अध्याय VII: प्रवर्तन		
परिचय	7.1	87
प्रवर्तन प्रक्रिया और परिणाम में कमियां	7.2	89
निरीक्षण के लिए योजना और निर्धारित प्रक्रियाओं का अभाव	7.2.1	90
निरीक्षण का संचालन	7.2.2	92
निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) में विसंगतियाँ	7.2.3	96
निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई	7.2.4	97
बार-बार उल्लंघन करने पर सजा नहीं बढ़ाई गई	7.2.5	100
निष्कर्ष और अनुशंसाएं	7.3	101
अध्याय VIII: आबकारी नीति 2021-22		
परिचय	8.1	104
आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्य	8.1.1	104
आबकारी नीति 2021-22 की विशेषताएं	8.1.2	105
आबकारी नीति 2021-22 में घटनाओं का कालक्रम	8.2	106

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लिए गए निर्णय	8.2.1	107
विशेषज्ञ समिति और मंत्री समूह की सिफारिशों के रिपोर्ट की बीच अंतर	8.2.2	108
केवल निजी खिलाड़ियों को थोक (एल-1) लाइसेंस जारी करना	8.2.2.1	109
आबकारी शुल्क को शराब की वास्तविक बिक्री से अलग कर दिया जाना	8.2.2.2	110
सीमित निकायों को खुदरा लाइसेंस	8.2.2.3	110
पुरानी आबकारी नीति तथा नई आबकारी नीति की तुलना	8.2.3	110
आबकारी नीति 2021-22 में राजस्व मॉडल	8.3	112
लाइसेंस का डिज़ाइन और प्रदान करना	8.4	112
थोक लाइसेंस	8.4.1	113
लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया	8.4.1.1	113
विशिष्टता व्यवस्था से एकाधिकार का खतरा बढ़ रहा है	8.4.1.2	114
थोक परिचालन से राजस्व	8.4.1.3	114
संयुक्त उद्यम भागीदारी की प्रकृति	8.4.1.4	115
जोनल/रिटेल लाइसेंस	8.4.2	116
थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों की संख्या में कमी के कारण एकाधिकार का बढ़ता खतरा	8.4.2.1	117
बोली दस्तावेजों के माध्यम से क्षेत्रीय लाइसेंस आवेदनों की व्यवहार्यता, सुनिश्चित नहीं की गई	8.4.2.2	118
ए7-जेड जोनल लाइसेंस की नवीकरणीय प्रकृति	8.4.2.3	119
जोनल लाइसेंस सरेंडर करने के लिए नीति प्रावधान का अभाव	8.4.2.4	120
निविदा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच नहीं की गई	8.4.2.5	120
आपूर्ति श्रृंखला में लाइसेंस रखने वाली संबंधित व्यावसायिक निकाय	8.4.3	121

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
संबंध निर्धारित करने के लिए मानदंड के दायरे को सीमित करना	8.4.3.1	122
संबंध की पहचान करने के लिए अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और विश्लेषण	8.4.3.2	123
विशिष्टता व्यवस्था और ब्रांड पुशिंग को जोखिम	8.4.4	124
लगभग ₹ 2,002.68 करोड़ की राशि का नुकसान	8.5	130
समय पर अनुमति न लेने के कारण लगभग ₹ 941.53 करोड़ के राजस्व का नुकसान	8.5.1	130
सरेंडर जोनों की दोबारा निविदा नहीं की गई जिससे लगभग ₹ 890.15 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ	8.5.2	132
जोनल लाइसेंसधारियों को कोविड के कारण छूट के अनियमित अनुदान के कारण ₹ 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान	8.5.3	132
जोनल लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा की गलत वसूली के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 27 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ	8.5.4	134
अन्य मुद्दे	8.6	136
सुपर प्रीमियम दुकानों के लिए निविदा जारी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर नहीं मिला	8.6.1	136
गैर-अनुरूपता वाले वार्डों में दुकानों को अनियमित खोलना	8.6.2	136
लंबित लाइसेंस शुल्क राशि की गणना में विसंगतियाँ	8.6.3	137
निगरानी और विनियमन के लिए उपायुक्त (थोक परिचालन) का महत्वपूर्ण पद निर्दिष्ट नहीं किया गया	8.6.4	138
आपूर्ति की गई शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई	8.6.5	139
दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र में शराब की बिक्री और खुदरा दुकानों के भौगोलिक वितरण के रुझान	8.6.6	143
आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती	8.6.7	144
निष्कर्ष	8.7	144

अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
I	नमूनीकृत	1.4	147
II	बिना स्कैनिंग के बिक्री के उच्च प्रतिशत वाले मामले	2.2.2	148
III	सामान्य निदेशक (समान वर्ष)	3.2	149
IV	सामान्य निदेशक (पिछले पांच वर्ष)	3.2	152
V	संदिग्ध एकाधिक खुदरा लाइसेंस	3.2	164
VI	ईडीपी में विवेकाधीन वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप बिक्री में गिरावट के कारण आबकारी राजस्व में गिरावट	4.2.1	165
VII	परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण	5.3	182
VIII	एल1 लाइसेंसधारियों की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण	5.4.1	183
IX	एल1एफ लाइसेंसधारी की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण	5.4.2	185
X	निरीक्षण रिपोर्ट में स्टॉक संबंधी टिप्पणियों का सारांश	7.2.2 (ii)	187
XI	संदिग्ध बोटलों की स्थिति (एचसीआर)	7.2.2 (iii)	191
XII	संदिग्ध बोटलों की स्थिति (खुदरा विक्रेता)	7.2.4 (i)	192
XIII	अन्य विक्रेताओं को जारी एससीएन की स्थिति	7.2.4 (iii)	193
XIV	बार-बार होने वाले उल्लंघनों का सारांश	7.2.5	194
XV	कैबिनेट की मंजूरी और/या उपराज्यपाल की राय लिए बिना लिया गया फैसला	8.2	197
XVI	क्रॉस स्वामित्व	8.4.3.1	199
XVII	नॉन कॉन्फार्मिंग वार्डों में खुले जोन-23 की दुकानें	8.6.2	201

